

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26764/2026**

सचिन कुमार

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: विदेश कुमार

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65**माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति**

1. विद्वान अधिवक्ता, सुश्री दीपांशी श्रीवास्तव, ने आज न्यायालय में, सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री विदेश कुमार, सूचनादाता की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री दीपांशी श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर, श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 249/2026, अंतर्गत धारा 103(1), 238(ख) एवं 3(5) बीएनएस, थाना-पुवायां, जनपद-शाहजहांपुर में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है तथा वर्तमान मामले की एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, एफआईआर के अनुसार 26.04.2026 को सूचनादाता का भाई, जो टैक्सी चालक था, फोन पर बुकिंग मिलने पर गया था और बाद में उसका शव बरामद हुआ। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, विवेचना के दौरान आवेदक का नाम इस आधार पर प्रकाश में आया कि आवेदक ने टैक्सी बुक की थी किंतु आवेदक के विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।
5. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, विवेचना के दौरान, विवेचक ने कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए, जिन्होंने कहा कि उन्होंने आवेदक तथा अन्य अभियुक्तों को मृतक के साथ उसकी टैक्सी में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

देखा था किंतु उनके बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक की टैक्सी में था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं, अभियोजन आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ने में असफल रहा है।

6. वह आगे प्रस्तुत करते हैं, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वर्तमान मामले में वह 28.04.2026 से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है तथा विवेचना के दौरान आवेदक का नाम प्रकाश में आया किंतु केस डायरी का पर्चा, जो पेपरबुक के पृष्ठ 48 पर संलग्न है, से स्पष्ट है कि आवेदक ने अपने फोन से मृतक का वाहन बुक किया था तथा कई गवाहों ने आवेदक को अन्य अभियुक्तों के साथ मृतक के साथ कार में बैठे हुए देखा था और इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक ने अभियोजन द्वारा आरोपित परिस्थितियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं, वर्तमान मामले में भी आवेदक केवल 28.04.2026 अर्थात लगभग पिछले तीन महीनों से जेल में है।

8. वे आगे प्रस्तुत करते हैं, अतः, उपर्युक्त मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, वर्तमान जमानत आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

10. तथापि, यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और एफआईआर में किसी व्यक्ति का नाम नहीं था किंतु अभियोजन के अनुसार मृतक टैक्सी चालक था और आवेदक के फोन करने पर उसकी टैक्सी बुक की गई थी तथा उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई।

11. इसके अतिरिक्त, विवेचना के दौरान यह पाया गया कि आवेदक ने 26.04.2026 अर्थात घटना के दिन मृतक को फोन किया था और मृतक का वाहन बुक किया था।

12. इसके अतिरिक्त, विवेचना के दौरान यह भी सामने आया कि आवेदक मृतक तथा अन्य अभियुक्तों के साथ कार में बैठा हुआ था तथा यह तथ्य विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा दर्ज किए गए कई गवाहों के बयानों से प्रमाणित होता है। तथापि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के

अनुसार ये गवाह हितबद्ध गवाह हैं, किंतु उनके बयानों की सत्यता का परीक्षण विचारण के दौरान केवल विचारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

13. इसके अतिरिक्त, आवेदक ने वाहन बुक किए जाने के बाद क्या हुआ, इस परिस्थिति का स्पष्टीकरण देने के बजाय अपने शपथपत्र के पैराग्राफ-27 में यह कथन किया है कि वह मोबाइल की दुकान चलाता है और किसी व्यक्ति ने वाहन बुक करने के लिए उसके फोन का उपयोग किया था, इसलिए वह निर्दोष है। आवेदक द्वारा लिया गया बचाव प्रथम दृष्टया असत्य प्रतीत होता है और इस स्तर पर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

14. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक 28.04.2026 अर्थात लगभग पिछले तीन महीनों से ही जेल में है।

15. अतः, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र नहीं है।

16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन इस स्तर पर **निरस्त** किया जाता है।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगस्त 03, 2026

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)